

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS

पत्रावली संख्या : 145/16 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री जगा पिता वरदा डांगी निवासी मन्देसर हाल घणोली तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री माना पिता वरदा डांगी निवासी मन्देसर हाल घणोली तह. मावली।
2. श्री तेजा पिता वरदा डांगी निवासी मन्देसर हाल घणोली तह. मावली।
3. श्री रता पिता वरदा डांगी निवासी मन्देसर हाल घणोली तह. मावली।
4. श्रीमती वाली बेवा उदा डांगी निवासी भला का गुडा तह. गिर्वा।
5. श्रीमती पनी बेवा प्यारा डांगी निवासी घणोली (खेडुआ) तह. मावली।
6. श्रीमती जमनाबाई बेवा वरदा डांगी निवासी मन्देसर हाल घणोली तह. मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री जोधसिंह सांरगदेवोत, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 18.12.2019

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा घणोली तह. मावली में निम्न आराजीयात स्थित है जो प्रार्थी एवं विपक्षीगण 1 से 6 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें प्रार्थी एवं विपक्षीगण 1 से 3 चारो के 5/8 हिस्से से खातेदारी में अंकित है तो विपक्षीगण 4 से 6 के 3/8 हिस्से से खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के आपस में इस भूमि का पांती बंटवाडा नहीं हुआ है और सभी काबिज हैं। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है कि आराजी नम्बर 1764, 1773, 1777, 1778, 1779 मकान, 1790, 1795 कित्ता 7 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा।
2. यह कि प्रार्थी ने पांती बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कराने का वाद ठोस आधार से न्यायालय आपमें कर दिया है जिसमें प्रार्थी के पक्ष में डिक्री होने का पूरा विश्वास है।
3. यह कि वादगत भूमि पर पक्षकारो का संयुक्त रूप से कब्जा भुगत भोग है। विपक्षीगण 1, 2, 3 तीनों वादगत आराजी नम्बर 1790 जो खेत कृषि योग्य है, पर मन मकसूद रूप से जबरन मकान बनाना चाह रहे हैं। इन्होंने मौके पर नींव खोद मकान बनाना शुरू कर दिया है। प्रार्थी ने बंटवाडा हो जाने तक कमठाणा नहीं करने को कहा तो विपक्षीगण नहीं मान रहे हैं। यह खेत आराजी नम्बर 1790 विपक्षी श्रीमती जमनाबाई के खेती के लिए है। इसलिए विपक्षीगण 1 से 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से जमीन पर कमठाणा करने से जमीन के स्वरूप को बदलने से रोकना आवश्यक है अन्यथा विपक्षीगण जमीन के स्वरूप को परिवर्तित कर देंगे।

4. यह कि प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है। अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को कोई नुकसान या असुविधा होने वाली नहीं हैं, दूसरी ओर मकान बन जाने से पांती बंटवाड़े करने में भारी कठिनाई होगी। वैसे जमीन का आवासीय रूपान्तरण भी नहीं हुआ है। प्रार्थी को जो नुकसान होगा उसे रूपयों में आंकना या नुकसान की क्षतिपूर्ति विपक्षीगण से कर पाना सम्भव नहीं होगा और प्रार्थी अनेक मुकदमों में पडकर बर्बाद हो जावेगा।
5. अतः निवेदन है कि विपक्षीगण 1-माना, 2-तेजा और 3-रता के खिलाफ यह अस्थाई आदेश प्रदान कराया जावे कि वे ताफैसला वाद वादगत जमीन पर कोई कमटाणा नहीं करे, जमीन का स्वरूप नहीं बदले। ताईद में वादी का शपथ पत्र पेश है।
6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 6 द्वारा पर्याप्त अवसर दिया जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया है। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।
7. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विपक्षीगण खातेदार हैं। इसलिए खातेदार होने से अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाने का निवेदन किया।
8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:—
 1. प्रथम दृष्टया मामला— हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 से 6 के नाम पर दर्ज हैं। चूंकि प्रार्थी द्वारा बंटवाड़े का वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। भूमि सामलाती होकर अविभाजित हैं। जिसमें प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना जाता है। प्रार्थी द्वारा बंटवाड़े का वाद प्रस्तुत किया है। विपक्षीगण अच्छी जमीन पर निर्माण कार्य करने पर आमादा हैं, जबकि बिना बंटवाड़ा विपक्षीगण को अच्छी भूमि पर निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है। मौके पर कब्जे बाबत विवाद है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।
 2. सुविधा का संतुलन— प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 से 6 खातेदार हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध विभाजन का वाद प्रस्तुत कर रखा है। अविभाजित भूमि होने से प्रार्थी व विपक्षीगण प्रत्येक इंच पर अपना हक रखते हैं। प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित किया जाता है।
 3. अपूरणीय क्षति— चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि का खातेदार प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 से 6 हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि अविभाजित सम्पति है जिसके विभाजन का वाद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर रखा है। विधिक रूप से बंटवाड़ा होने तक यदि विपक्षी सं. 1 से 6 को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी सं. 1 से 6 अच्छी जमीन पर निर्माण कार्य कर लेते है तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के

बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध विभाजन का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 से 6 खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन नहीं हुआ है। विपक्षीगण बिना बंटवाडा किये अच्छी जमीन पर निर्माण करने पर उतारू हैं। इसके लिए यदि विपक्षी सं. 1 से 3 को पाबंद नहीं किया जाता है तो वे उक्त जमीन का भौतिक स्वरूप ही बदल देंगे और यदि पूरा निर्माण कार्य कर लेते है तो इससे प्रार्थी के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थी के बंटवाडे के वाद की मंशा ही समाप्त हो जायेगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुए हैं। यदि प्रकरण में विपक्षी सं. 1 से 3 को निर्माण कार्य के लिए रोका नहीं जाता है तो विपक्षी सं. 1 से 3 अच्छी भूमि पर निर्माण कार्य कर जमीन का भौतिक स्वरूप ही परिवर्तन कर देगे। जिससे प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए विपक्षी सं. 1 से 3 को पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा किता रकबा भूमि में विपक्षी सं. 1 से 3 मूल वाद में बंटवाडा होकर अन्तिम डिक्री जारी होने तक निर्माण कार्य नहीं करें, कोई कमटाणा नहीं करे, जमीन का स्वरूप नहीं बदलें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

